<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 25.09.2021</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, 53 शिकायतों का किया गया सफल निस्तारण</u>

आज दिनांक 25-09-21 को माह के चतुर्थ शनिवार को जनपद के समस्त थानों पर "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा थाना मैगलगंज एवं थाना मोहम्मदी पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो को मौके पर जाकर शिकायतों को गम्भीरता से लेने व शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया एवं थाना समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रो को पॉच दिवस के अन्दर निस्तारण करने व जिन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उनपर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया।

इस दौरान महोदय द्वारा थाना मैगलगंज व थाना मोहम्मदी पर “मिशन शक्ति” के सुदृढ क्रियान्वन हेतु महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया ,जहाँ ड्यूटी पर उपस्थित महिला आरक्षियों से प्रतिदिन प्राप्त हेने वाली शिकायतों तथा उनके निस्तारण के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। महिला बीट आरक्षियों से वार्ता कर महिला सम्बन्धी अपराध/शिकायतों से सम्बन्धित रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। “मिशन शक्ति” के सम्बन्ध में महिला बीट आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा सर्किल मुख्यालय के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया। इस दौरान जनपद के समस्त थानों पर कुल 87 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें 53 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरण के संबंध में टीम गठित कर जांच हेतु मौके पर भेजी गई।

“मिशन शक्ति” के अंतर्गत महिला बीट अधिकारी के प्रयास से वैवाहिक जोड़ा पुनः साथ रहने को हुआ राजी

दिनांक 21.08.2021 से अब तक “मिशन शक्ति” तृतीय फेज के क्रम में पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन मे जनपद के समस्त थानों की महिला बीट आरक्षियों द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने-अपने बीट/गांवों में जाकर मिशन शक्ति के अन्तर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गई। मिशन शक्ति के अन्तर्गत कुल 361 प्रार्थना पत्र मिले जिसमें सभी का सकुशल निस्तारण किया गया। गांव-गांव जाकर महिला बीट आरक्षीयों द्वारा प्रार्थना पत्र की भलीभाँति जांच कर उनका निस्तारण कराया गया, जिसमें सभी कार्यो को गांव के व्यक्तियों द्वारा सराहा गया। मिशन शक्ति के दौरान महिला बीट आरक्षियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें से कुछ सराहनीय कार्य का विवरण निम्नलिखित हैः-

आज दिनांक 25.09.21 को ग्राम काजीपुर में म0का0 शैलेष सिंह व म0का0 पूजा को आवेदिका श्रीमती कुरेशा पत्नी आजाद खाँ निवासी काजीपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी एक वर्ष पूर्व आजाद पुत्र जहाँगीर खां निवासी अदलीशपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी के साथ हुयी थी। उसके पति आजाद खाँ द्वारा उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिस पर महिला आरक्षी शैलेष सिंह, महिला आरक्षी पूजा व हे0का0 राजेन्द्र पटेल द्वारा आवेदिका कुरेशा व उसके परिजनों को साथ लेकर तत्काल ग्राम अदलीशपुर पहुँच कर आवेदिका कुरेशा के पति आजाद खाँ को बुलाकर गाव वालो के समक्ष काफी समझा-बुझाकर आपसी मनमुटाव को दूर कराया गया, जिसके पश्चात दोनों पति-पत्नी खुशी पूर्वक एक साथ रहने को तैयार हो गए, जिस पर आवेदिका को उसके पति के साथ भेजा गया। आवेदिका एवं ग्रामवासियों द्वारा महिला आरक्षीगण की मुक्त कण्ठ से भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है।

वामा सारथी, उ०प्र० पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में "निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीनेशन" शिविर का आयोजन

आज दिनांक 25.09.2021 को वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिस चिकित्सालय, रिजर्व पुलिस लाइन खीरी में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारीजनों के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत कोविड-19 से बचाव हेतु "निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीनेशन" शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा पुलिसकर्मियों के 81 परिवारीजनों को कोविड-19 का टीका लगाया गया जिसमें 25 व्यक्तियों को कोविड-19 की 2nd डोज व अन्य व्यक्तियों को 1st डोज लगाई गई एवं कोविड से बचाव हेतु आवश्यक गाइडलाइन्स का पालन करने एवं स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक आहार लेने हेतु जागरूक भी किया गया।

<u>थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त शारुख पुत्र जल्ला को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.09.21 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त शारुख पुत्र जल्ला निवासी ग्राम हेमपुर टांडा थाना मैगलगंज जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मैगलगंज पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.09.21 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ0सं0 674/21 धारा में वारंटी अभियुक्त उदय कुमार पुत्र बीरेन्द्र कुमार निवासी अलियापुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी व अ0सं0 712/13 धारा 323/325/504 में वारंटी अभियुक्त राम केशन पुत्र बिहारी निवासी ग्राम सपहा थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>**थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 900 ग्राम अवैध डोडा चूर्ण बरामद कर अभियुक्त सोनू उर्फ राम किशोर को गिरफ्तार किया गया**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थो के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 24.09.21 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ राम किशोर पुत्र भगवत स्वरुप निवासी ग्राम चौगानपुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी को 900 ग्राम अवैध डोडा चूर्ण बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मैगलगंज पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त दिनेश उर्फ बिहारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 24.09.21 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश उर्फ बिहारी पुत्र मुनीस सिंह निवासी ग्राम सरोनिया थाना पसगवां जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना पसगवां पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 200 लीटर अवैध शराब सहित 12 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **200 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 12 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **12 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना फूलबेहड़	60 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना धौरहरा	40 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैलानी	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना ईसानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना हैदराबाद	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना कोत0 सदर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना पलिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	200 लीटर	12 अभियुक्त गिरफ्तार